

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिडावा जिला झालावाड राज0

वाद सं. 45 / 2025

दायरा दिनांक : 17 / 03 / 2025


प्रकरण अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.एक्ट सहपठित धारा 138 एल.आर.एक्ट.

उनवान

वापू क. शिवाजी नैय्याल वि. 2025

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पिडावा जिला झालावाड राज0

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही या मय इनिपियल्स जज	नं. व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तालीम में जारी हुये
17 ³ / ₂₅	<p>न्यायालय हाजा में वादी/प्रार्थी द्वारा उपस्थित होकर राजस्व रिकार्ड में दर्ज चली आ रही अशुद्धि/त्रुटी को दुरुस्त करने बाबत वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.एक्ट सहपठित धारा 138 एल.आर.एक्ट में पेश किया जिसे दर्ज रजिस्टर किया जाकर पेशकार सरकार (तहसीलदार) को प्रकरण जांच हेतु भेजा जावे। वाद जांच रिपोर्ट प्राप्ति पत्रावली दिनांक 21.3.25 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;"><i>[Signature]</i> 21/3/25</p>	
21 ³ / ₂₅	<p>पत्रावली पेश हुई। निर्धारित प्रारूप में प्रतिवादी/पेशकार सरकार तहसीलदार से प्रकरण में जांच रिपोर्ट तलव की गई। वादी/प्रार्थी की वहस के परिपेक्ष्य में पत्रावली का अवलोकन किया गया। ग्राम लोटा की जमावंदी सं. 2025-18 व तहसीलदार द्वारा पेश जांच रिपोर्ट अनुसार वादी/प्रार्थी के राजस्व रिकार्ड में भू. प्रबंध विभाग/राजस्व विभाग द्वारा दर्ज अशुद्धि/त्रुटी को दुरुस्त किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। अतः वादी/प्रार्थी का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर पृथक से आदेश जारी हो। तहसीलदार पिडावा को पालना हेतु आदेश की प्रति भेजी जावे। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर रजिस्टर में खारजा लगाया जावे।</p> <p style="text-align: right;"><i>[Signature]</i> 21/3/25</p> <p>(दिनेश कुमार मीना) सहायक लैण्ड रिकार्ड अधिकारी एवं पीठासीन अधिकारी, पिडावा</p>	

रिपोर्ट तहसीलदार/पेशेकार सारकार

क्रमांक: राजस्व/2026/139

दिनांक: 21/3/23

महोदय, जांच रिपोर्ट पटवारी एवं भू0अभिलेख निरीक्षण अनुसार ग्राम लोडी के वादी/प्रार्थी के राजस्व रिकार्ड में दर्ज झुटीपूर्ण इन्द्राज को शुद्ध किया जाना उचित होगा। रिपोर्ट सादर प्रस्तुत है।

तहसीलदार/ सुख तहसीलदार
21/3/23

आदेश

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिडावा जिला झालावाड राज0

क्रमांक: राजस्व न्यायालय/2025/45

दिनांक: 21, 3, 25

वादी/प्रार्थी के ग्राम लोडी के राजस्व रिकार्ड में दर्ज झुटीपूर्ण इन्द्राज को तहसीलदार सुख की सवत जांच रिपोर्ट/प्रस्ताव अनुसार प्रस्तावित सारणी के कॉलम 4 में अंकित झुटीपूर्ण इन्द्राज को कॉलम सं. 5 अनुसार दुरुस्त किया जाना स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार सुख को आदेशित किया जाता है कि वादी/प्रार्थी के राजस्व रिकार्ड में सारणी के कॉलम सं. 5 अनुसार इन्द्राज दुरुस्त कर राजस्व रिकार्ड में आगल दरमाद करे।



सुख
21/3/23
उपखण्ड उपखण्ड अधिकारी
पिडावा, जिला झालावाड (उप.1)